



बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- **FC-1012**

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय भा० व० से०
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
 बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
 पर्यावरण एवं वन विभाग,
 बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-

विषय - अररिया वन प्रमंडल अन्तर्गत NH-327 E (गलगलिया-ठाकुरगंज-बहादुरगंज पथांश) गलगलिया-खाईखट (0.00 से 39.00 कि.मी.) पथांश की चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 15.06 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/25893/2017/2404 दिनांक 19.07.2018

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया के पत्रांक 1106 दिनांक 05.09.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है-

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 19.07.2018 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 15.06 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 94,27,560/- (रु० चौरान्चे लाख सताईस हजार पाँच सौ साठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
4	Compensatory Afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State forest	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रु० 82,22,778/- (रु० बेरासी लाख बाईस हजार सात सौ अठहत्तर) मात्र को ऑन

	Department at the cost of the user agency. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
5	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the State-I clearance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद कि कुल राशि रु0 1,76,50,338/- (रु० एक करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार तीन सौ अड़तीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. P18081487024697 है एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है।
6	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concret pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distanec from adjoining pillars ets.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	Felling of trees as required should be done expeditiously, under the supervision of the State Forest Department so that project works are not affected.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	Modern technology will be used to translocate to the extent possible only those trees which are unavoidable and needs to be removed so that minimum numbers of trees are felled.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The user agency shall gap plant/ Plant tal saplings/ tree species with low cost vegetative tree guards	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	Extra underpasses excluding the existing culverts, bridges and Hume pipe passages shall be constructed/renovated by the User Agency for the safe passage of the wildlife	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
11	The designing of new culverts/bridges and redesigning the existing ones over the natural streams/ rivers/ canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging so that it does not hamper movement of wild animals including fishes & amphibians migration	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि विषयक परियोजना का डी.पी.आर. कॉलम 11 में दिए गए शर्तों पर विचार करके तैयार किया गया है एवं तदनुसार ही कार्य किया जायेगा।
12	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
13	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

14	The Usre Agency shall provide LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas for collection of firewood for their use.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
15	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
16	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
17	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provision of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
18	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयक परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 15.06 हे० सुरक्षित वन घोषित भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC-1012

दिनांक—12/09/2018

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
11/09/18
(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)


—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

o/c

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Araria/ Forest Division- Araria				
3	Name of User Agency nature of proposal	The Executive Engineer, N.H.Division, Araria				
4	Extent of forest area involved	15.06 ha				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	19.07.2018				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	82,22,778/-				
	b. Additional CA					
	c. Penal CA					
	d. Catchment Area Treatment					
	e. Wildlife Management Plan					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					
	g. Net present Value	94,27,560/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S. No	MODE Remtt.	Application No. and Dated	Amount	Head
		1	RTGS	P18081487024697 dt. 13.08.2018	94,27,560/- 82,22,778/-	NPV CA
		TOTAL			1,76,50,338/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 13.08.2018				
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 13.08.2018				
12	Any other remarks					


 Signature of APCCF (CAMPA),
 -Cum-Nodal Officer (FC)